

कमाक $1684 / 214$ / अउग प्रति,

1. कुलसचिव,

समरत विश्वविधालय
छत्तीसगद
2 प्राचार्य.
समस्त अग्रणी महाविद्यालय
छत्तीसगढ
विषय :- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्दांत जारी करने के संबंध में।

अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ $17-95 / 2017 / 38-2$ दिनांक 03.072021 ।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुकम में लेख है, कि छग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये है। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2021-22 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त-शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की छायाप्रति उपलघ्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत 2021-22 में दिये गये प्रावधानों का कडाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार।
(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)
(डॉ. एच.पी खिरवार)
अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर अटल नगर (छग)

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक। $14-07.21$

पृ. क्रमांक $1685 / 214$ / आउशि / सम. / 2021 प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को सदर्भित पत्र के परिप्रेज्य मे) सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)



क्रमां प्रति.

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर,
रायपुर।
विषय:-
छत्तीसगद के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्।
संदर्भ:- आपका ज्ञापन क्रमांक $1563 / 214 /$ /उशि/सम/2021 दिनांक 16.06. 2021
$\qquad$
विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।
2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संख्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्य कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालनं किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

पृ क्रमांक एफ $17-95 / 2017 / 38-2$ नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर. रायपुर
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
3. गार्ड फाईल।



ये मार्गदर्शक सिद्वांत छत्तीसगढ के समी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसणक विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एव 7 के प्रावधान के साथ। सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
2. प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कडाई से पालन कर. होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सोमेग्टर तथा स्नातको कक्षा के प्रथम समेरेटर से है। प्रवेश की तिथि :-
21 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-
इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु ऑनलाईन फार्म जमा कराया जाये। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेपित कियद्ये जायेगे। औनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिच्यों के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।
(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑफलाईन" आवेदन जमा करना हो तो आवेदक : महाविद्यालय मे प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों से निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।
(a) प्रवेश हेतु वोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की सिथति में पूर्व सु के संबधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किय । सकेंगें।

## 22 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

सथानांतरण प्रकरण को छोडकर 01 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 15 सितद तक कुलपति की अनुगति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि 01 अगरत से तथा अन्य कक्षाओं हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवरस भीतर) शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रकिया की जावेगी परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की रिथति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परे:* परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रतेश की अंतिम तिथि के बाद प्र चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को रथान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जा

ना महाविद्यालय में प्रवेश होने आवेदक का प्रदेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय सिथिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

## स्पष्टीकरण :-

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रताश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया. इस स्थान (व) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) में जहा उसके पालक कार्यरत थे किसी म। महाविद्यालय में प्रदेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर ₹थानांतरण होते ही. सश्न० (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है. अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित आ।० तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।
22 पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :विधि सकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुकम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुकम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालर स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनमूल्याकन/पननर्गणना। उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-
3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवरथा प्रयोगशाला में उपत्ब उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत हन. संख्या (सीट) अन्तर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचाए: महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छत्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपनप्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिश्रे विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कायवाही करे। 32 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय .तृत्तीय वर्ष एवं पंचवर्षीय पाठ़्यकम बी ए.एल.एल. बी की कक्षाओं बार कौसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (न्यूनतम 2 सेक्शन एवं अधिकतम 5 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुकम के आधार पर दिया जावे।
33 सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन वे विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारिः विषय/विष्य समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों 1 प्रवेश देंगे।


रिथ्धति में ही प्रवेश दिया जायेगा।
सदीकरण - आ किसी अन्यत्र रणान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कहा में प्राह लिया था। उसके बाद उसके पालक का र्थानांतरण ₹थान "ब" में हो गया, इस र्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त रथान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने रथान (अ) में जहा उसके पालक कार्यरत थे किसी il मलविद्यालय में प्रपेश नही लिया किन्तु पालक के रण्न (व) पर सथानांतरण होते ही, स्नान (a) के किसी महावियालय में प्रवेश लेना चाहता है, अत अब प्रवेश के लिए निर्धारित अकि1. तिधि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।
22 पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :विधि सकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के पुनर्मूल्याकन/पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संवधित विश्वविद्यालय क कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुकम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि सकाय की कक्षाओं में गुणानुकम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय र्पान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनमूल्याकन/पनर्गणना उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्ता होगी।
3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-
3.1 महाविद्यालयों में उपलब्य साधनों तथा कक्षा में वेठने की व्यवरथा, प्रयोगशाला में उपल $a$ उपकरण / उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलबता आदि के आधार पर स्वीकृत है संख्या (सीट) अन्तर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचाःः महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते है तो वे 30 अप्रैल तक आ०. प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेपित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शि्द विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़ हुए सथान के अनुसार प्रवेश की कायवाहीं करे।" 32 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय तृतीय वर्ष एवं पंचवर्षीय पाठ़यकम बी ए एल एल. वी. की कक्षाओ बार कौसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शने (न्यूनतम 2 सेक्शन एवं अधिकतम 5 सेवशन) में प्रवेश गुणानुकम के आधार पर दिया जावे। 3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्धालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धांरित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदको । प्रवेश देगे।

प्रवेश सूची :-
प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हल, चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची. प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लग्रहं जायेगी।
2. प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रो की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रो से मिला० प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्र :? शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण- 5 पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रदद करना चाहिये।
3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्र स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निर कर दिया जाये।
44 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद सथान रिक्त होने पर रभ) कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये $100 /$-अशासकीय मद में अतिश $n$ रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 15 सितम्बर के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नiं दी जायेगी।
रथानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहे। दिया स्थानांतरण प्रमाण-पत्र खो जाने की रिथति में. विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थान एक आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त सस्था से अधि .. रिपोर्ट जिसमें मूल रथानांतरण प्रमाण पत्र का अनुकमांक एवं दिनांक का उल्लेख हों प्रा4 होने की रिथति में ही प्रदेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये महाविद्यालय के प्राचार्य सथानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संव गोपनीय रिपोट्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैंगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आंद सलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालर के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है। 4.7 'राज्य शासन, द्वारा. शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक/र्नातकोत्तर स्तर है छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन जि.ट. जाए।
प्रवेश की पात्रता :-
निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-
(क) छत्तीसगढ के मूल / स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या :...) सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मंचारी. राष्ट्रीयकृत बैकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगटनों कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के

- $\operatorname{CN} 4$ DR A VFSH MARGDARSIIKA 2021-22

विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी रथान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के ? प्राप्त बोई एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुकम के पर प्रवेश दिया जा सकता है।
(चi) सम्बद्ध विश्पविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्ध बोडडे से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पान्न होगी।
(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।
52 स्नातक स्तर. नियमित प्रवेश :-
(क) $10+2$ परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पा होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश दिया जायेगा। बी.एस.सी (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण है को प्रदेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यकम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियो केवल कला सकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंत् यदि अन्यार्थी ने वाणिज्या स्य के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य सकाय मे प्रवेश की पात्रता इसी प्रकार $10+2$ परीक्षा कृषि सकाय से उत्तीर्ण आवेदको को विज्ञान सकाय 4. बी एस सी. (बायो/गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नही दिया जायेगा।
(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष क़ी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयं कमश द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्से विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।
53 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-
(क) बी कॉम/ / बी एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. रन्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कर: एम कॉम / एम. एस सी (गृह विज्ञान)/एम ए-प्रथम सेगेस्टर एव अर्हकारी विषय वी.एस सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस-सी/एम.ए-प्रथम सेमेस्टर में नियमिता 4 की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व-भूगोल में उन्ही विद्यर्थियो को वaः पात्रता होगी जिन्होने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरं के अतिरिक्त अहता के संब में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय संवधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अर्हता ही बंधनकारी होग।।
(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वः नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की. पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्त आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
(ग) सनातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए टी. के टी. (Allowed To Keep lerms) नियम

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकी प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रातधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।

82

2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terns) नियमा अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी। विधि संकाय नियमित प्रवेश :-
(क) रनातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष मे नियमित प्रवेश पात्रता होगी।
(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल एल. एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवश मे पात्रता होगी।
(ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों in कमशः एल.एल. बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पाइल होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लाग होगा।
55 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-
(क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा $45 \%$ (अनुसुनित जनजाति / अनसूचित जाति हेतु $40 \%$, अन्य पिछडा वर्ग $42 \%$ होगी। तथा स्नातकोत्तर पूर्वाद्व में $55 \%$ अंक (अनसूचित जनजाति / अनूसूँचित जाति / ओ. वी.सी मिं $50 \%$ ) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
56 AICTENCTE/BAR COUNCIL OF INDIAMMEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमो ?: पाठयक्रमों में प्रवेश / संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6 समकक्ष परीक्षा :-
(1) सेन्ट्रल वोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एसई), इडियन कौसिल फार सेकेण एजुकेशन (आई. सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों / इंटरमीडिएट बोर्ड की $10+2$ है परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की $10+2$ परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य. मान्य बोड सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय सघ (एसंसिएशन यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम सचालिए करते हैं. किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्याल अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसा : विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संरथा को छत्तीसगढ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ केंग्रा आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नही है तथा संस्थाओं से डिग्री / डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।
6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण सरथाओं की सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विशेंविश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य समाद: विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

वर्ष 2012 में प्रारम किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational I:ducational Qualificat (ramework) के अतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में र्नातक रु के पाठयक्रमो में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयो की तुलना मे समतुल्य प्राथमिय प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-52/2013 (सीसं एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार -

जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्टीय कौशल अहंता संचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राद्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता सरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समर्त महत्व तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि । 1 से 10 र्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमे स्तर 5 स रत्रर 10 तक के प्र. पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से समतथन है। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण मे कुछ सकूल बोर्जा द्वारा है को पाठ्यक्रम प्ररतावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्ग समरतरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित्: स्तर सहित $10+2$ शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकार मंत्रालय भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविधालन में स्नातक पूर्य किसी भी पाठयक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पासस +2 स्न में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होगे। अतः मरा आपस अनुरोध है कि 1. समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य निए, की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मक के लिए सुअवसर मिल सकें।

71 सनातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी एस.-सी./बी.एचएस-सी. में एकीकृत पाठ्यक्म होने से छत्तीसगढ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीः की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवश का पात्रता है सम्बद्ध विश्वविधालय/र्थशासी महाविधालय में पढाये जा रहे विषयों/विष्षय समूहा . आवेदको ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात ही नियमित प्रवेश जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पन्र अवश्य लिया जाये। छत्तीसगढ के बाहर र्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व के परीक्षा या प्रथम, द्वितीय. तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि रनातक स्तर की प्रथम/द्वितीय की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमएग

करने के पश्चात ही उनीी विषयों/विषये समूह की आगली क्ता में नियमित परेक हिए

प्राज्य के बाहट के विद्यार्कियों को निध्यरित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा कि (की प्रक्ये की झूटी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करे? हए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य रहता के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दरतावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से क्नाक

## जाना अनिवार्य है।

णिज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में ख्वाध्यायी आयेदकों को र्थान शिक्त हान पर महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक त करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है। अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रतेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूद अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्यार्टमेद) प्राप्त नियमेती अवेदको को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की यात्रता होगी। सातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पृरक/एटी-केटी प्राप्त जवदको को
कक्षा में अर्थायी प्रवेश की पात्रता होगी। $\overrightarrow{\text { प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में निर्यारित एयीगेट } 48}$ विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल प्रतिशत् पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदक्षों को अगली कहा में अस्थायी प्रवेश पात्रता होगी।
84 उपरोक्त कडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 को आवेदा प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रयेश रजता परक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राम्ता कियीि प्रते करप मे मान्य क्य निरसत हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवश

जावेगा।
प्रवेश हतु अहताए
किसी नी महा विध्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्री छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगामी वर्य/वणो में पुन नियमित प्र कै की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रयेश की त्र लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनह नहीं माना जावेगा उसे मात्र श्रथ-पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व मे उसने प्रवेश नीी हित 8. के आधार पर की नियमानुसार प्रवेश दिया जिसे प्रमाणित हो कि पूर्व मे उसने प्रवेश नही लिख चल रहे हो, परीक्षा में या पूर्व सत्र मे बताती के वाद भी सुपार परिलक्षित नही है है दुर्य्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेताए प्राचार्य अधिकृत है। हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

महाविद्यालय में तोडफोड करने और महाविद्यालय की सपत्ति को नष्ट करने वालं/उमित्रि) आरापी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत ; प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जॉच करवाये एव जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्ववेश नित्र किया जाये। ऐसे छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासका =हविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

## क्रवेश हेतु आयु-सीमा :-

(ब)
सनातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं र्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयद के आवेदका को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवादत वष्ष कर जुलाइ की |स्थति में की जायेगी। डिल्लोमा एवं स्नातकात्र है तो हो दो दोश निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष मान्य की जाएगी। बी.पी.एड एव एम.पी.एड $\%$ लिए निर्धारित आयु सीमा 25 एवं 28 वर्ष होगी।
(ख) आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मत्रालय/कायां तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों. भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुर्शसित विदेश से अध्ययहेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट पर अधयन करने वाले छात्रों पर लागू नही होगा।
(ग) विधि सकाय मे प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावघान स्यास किया जाता है
(घ) संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वष्ष तथा स्नातकोत्तर प 1. सेमेरेर्र में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नही होगी।
(ड) विधि सकाय को छोडकर अनुसूचित जाति/अनुसूदित जनजापे, पपछडा गमे /n. आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। निःशक्त अभ्यर्थी/आवेदकों लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।
Э5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवाचे लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। देनिक कत्तव्य अर्वि उपरात लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवटक द्वारा नियोक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
$=6$ किसी सकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातल पाठ्यकम में नियमित प्रवेश की पात्रता नही होगी।
10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-
10.1 उपलब्ध रथानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुकम से किया जायेगा ।
(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिना देय है तो अधिभार जोडकर प्राप्त कुल प्रतिशत अकों के आधर पर तथा
(ख) विधि सनतक प्रथम वर्ष मे सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीसा का प्रावधान नै। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धरित मापदण्डों के अनुसार होगी।
102 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुकम सूची तैयार की जावेगी।

प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-
स्नातक/स्नातकोत्तर / विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।
स्नातक/र्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अहंकारी परीक्षा में उत्तोण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्न के नियमित/स्वा 25 विद्यार्थियों के क्रम में होगा।
विधि सकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण. परतु 48 एग्रीगेट प्राप्त क $\%$ वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे. अन्य कम यथावत रहेगा। सनातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यकम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसा। महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों / तहसीलों /जिलों के निवासरत् अथवा परीक्षा उत्तीज करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गुणानुकम से प्रवेश दिया जाए।
किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्त रे कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा। आरक्षण-छत्तीसगढ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसेी शैक्षणिक संख्था में इसक विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात
(क) अध्ययन या सकाय की प्रत्येक शाखा में वाषिक अनुज्ञाप्त सख्या म स वत्तास प्रता. सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज़्तप सख्या में से बारह प्रातेश सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त सख्या मे से चौदह प्र ${ }^{\text {(1) }}$ सीटें अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु. जहॉं अनुसूचित जनजातिया साथ-साथ अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत कम पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलक्ष के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, ता इसे विपरीत कम म विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।
परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी. जहाँ खण्ड $(\mathrm{m})$ (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो :-
अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।
122 (1) बिन्दु क 121 के खण्ड (क). (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटो का आर्= उर्ध्याधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।
(2) निशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको/मत्राद शे। स्वतत्रता शे. 1. सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के सबध मे क्षैतिज आरक्ष्र प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियन तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।
123 स्वतत्रता सग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के fक्र 3 प्रतिशत् सथान आरक्षित रहेंगे। नि शक्त श्रेणी के आवेदको मिए 5 प्रतिएत आरक्षित रहेगे।
सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होगे आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी आपन काग्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सोल यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे- स्वतंत्रता संगान सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी म०० जावेगी. शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी। आरक्षित स्थान का प्रतिशत् $1 / 2$ से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नई होगा. $1 / 2$ प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या होगी।
जम्मू-कश्मीर विस्थापितों तथा आभ्भितो को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिय्य जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये। कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपे के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
तृत्रीय लिग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रक जुण क्रमाक उब्यू पी.(सी) $400 / 2012$ नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भः सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.042014 की कडिका 129(3) में । निर्देश दिया गया है कि- "We direct the Centre and the State Guvernment to take si, " to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend .... kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for puhti.. appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।
-3 अधिभार :-
अधिभार मात्र गुणानुकम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा पात्रता प्राप्ति है इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत् पर ही अधिनार देय होगा अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवाए है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाणपर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा. एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर: सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।
13.1 एन. सी.सी./एन.एस.एस./ स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पद जावे।
(क) एन. एस.एस / एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट 02 प्रतिशत
(ख) एन. एस.एस./एन.सी.सी "बी" सर्टिफिकेट
03 प्रतिशत

$.10-$

या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण सकाउट्स
सी सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्त्तार्ण सकाउटस
04 प्रतिशत
राज्य स्तरीय सचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता
में ग्रुप का प्रतिनिधितत्व करने वाले छात्रों को
(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कंटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को
(छ) राज्यपाल सकाउट्स
(ज) राष्ट्रपति रकाउट्स
(झ1) छत्त्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट
05 प्रतिशत

05 प्रतिशत
10 प्रतिशत
10 प्रतिशत
(य) ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन सी.सी. केडेट
(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट, एन सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को

15 प्रतिशत
10 प्रतिशत
132 आनर्स विषय पाठ्यकम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर
10 प्रतिशत कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर
खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / विवज/रूपांकन प्रतियोगिताएं :-
(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अलत० जिला. संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/हंन स्तर प्रतियोगिता में :-
(क) प्रथम. द्वितीय. तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत
(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपयुय्त में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोगितन
(2) उपर्युक्त कडिका 13.3 (1) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तक्षेन्रे 2 अर्न्तसंभाग राज्य स्तर अथवा विश्वविद्यालय संघ आई यु. द्वारा आयोजि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्राथ प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आये
(क) प्रथमियोगिता में : - त्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत
(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता मे उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को
07 प्रतिशत
(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को
05 प्रतिशत
(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वर आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-
(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय. तृतीय स्थान प्राप्त
(ख) प्रथम द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम
(ग) क सदस्या का

1 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/ कला क्षेत्र में चयनित एव प्रवास करने वाले दल के सदस्यो को
15 छत्तीसगढ शासन/मप्र. से मान्यता प्राप्त खेल सघों द्वारा आयोजित राप्ट्राय प्रतियोगिता म (क) छत्तीसगद/ /म.प्र का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को
(ख) प्रथम, द्वितीय. तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को
36 जम्नू-कश्मीर के विरथापितों तथा उनके आश्रितों को
01 प्रतिशत

## विशेष प्रोत्साहन :-

छत्तीसगढ राज्य एवं महाविघालय के हित में एनसी.सी. / खेलकूद को प्रात्साहन दने के । एन.सी.सी. के राप्ट्रीय रत्तर के सर्वंश्रेष्ट कैडट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/रना अथारिटी ऑफ इडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगित भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र मे उन कक्षाओं में रोम प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :-
(1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं
(2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अलन? अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा ; वार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलध्धि पुन प्राप्त करना आवश्यक होग। प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातका प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार : मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय. तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पर्य सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।
:- संकाय/विषय/गुप परिवर्तन :-
स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्र = चाहने वाले विद्यार्थियों का उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुकम निर्धां। किया जायंगा. अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातका ल्र प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/गुप परिवतनकी अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणन-
d.
A) पर कहिका 22 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिधि से 15 दिनों तक ही दी जायेनी 8 8ननुमति उन्हीं विप्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संधधित विषय/संकाय की पूर
 जोध फात्र
ज्ञासकीय मसद्वि्यालयों में पी एच ही के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये पवेश दिया जता पस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर को अनुशस प्राखार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। जात्र नियोरित आवेदन पत्र में जर्त करेगे। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्या जावेगा। शोच छात्र के लिये संबधित विश्वविद्यालय द्वारा पी. एच-डी निदेशन हतु महविद्याल में पदर्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धरित नियमों के अत्तर्गत है अपन्ता शोध कार्य सेपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोण घात्र के से।
 कार्य प्रर्गात परेपोट प्राप्त होने पर ही। वतन ज्राहस ज्ञारेकाश दुरा

## आहरित किय्या जावगा।

गहाणियालय में पदर्य प्राय्यापक सुपरवाइजार की अन्यत्र रचानातर हो जाने की |ति) मे शोच घात्र ऐसी संख्या में अपना शोध काय घात् रख सकते है जहा से उनका ? आवेदन पत्र उर्रेषित किया गया धा थोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबह्ध मलवियातयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंग। संबधित विश्वविद्यालय के शोष अव्यदेश के सताः सहपठित करते हुए लागू होगा।

## 16 विशेष :-


 निरस्त करने का पूर्ण दायित्य प्राधार्य को होगा।
162 प्रवेश लेकर किसी सभुचित कारण, पूर्व अनुमति खा सूबनी के बिना तमातार एक माए अपिक समय तक अनुपरिथत हहने बाले वियायी को प्रोश निसस्त करने का प्रहिकार पर की होगा।
163 प्रेश्रा के बाद सत्र के दीरान करिका 92 एवं 93 मे बरिती अनुषातन हीनती को प्रकात लिप्त विद्यारी का प्रयेश निसत्त करने अधदा उसे निक्नासित करने का अधिकार प्राधाये का होगा।

 अन्य कोई घुल्क यपिस नहीं किया जायेगा।
165 प्रवेश की मार्गदर्शक सिद्धाती के स्पप्टीकरण या प्रवेश सकीी किसी प्रकरण में मार्गदरी-

 किरीी मी प्रकरण को केदल उ्रेपित लिखकर पेषित न किसा जाये।
166. हन मार्गदर्शक सिद्धातों में उत्लेखित प्राव्यानों की स्याख्या करने का उ जितार आयुक्ता, उक



